राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बनेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी गोपाल लाल जीनगर

प्रकरण सं0 :– 1 / 2019

अनवान

श्री रामदेव पिता नन्दा खटीक
निवारी रायला
(प्रार्थी)

बनाम 1 श्री जमना / उदा माली नि0 रायला
2 श्री भैरू / गोपाल लुहार नि0 रायला
(अप्रार्थीगण)

कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 वी

:: निर्णय ::

दिनांक : 02 / 12 / 2021

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि श्री रामदेव पिता नन्दा खटीक निवारी रायला द्वारा एक आवेदन पत्र जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे जमीन पर पत्थरगढ़ी कर मुझे समलाथी जावें। इस पर भू0अ0नि0 एव पटवारी हल्का रायला को लिखा गया जिस अनुसार श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो0 के प्रकरण संख्या 165 / 11 से दिनांक 04.11.2011 को ग्राम रायला के आराजी नं0 4148 / 276 रकबा 5 बीधा श्री रामदेव पि0 नन्दा देउ बेवा नन्दा खटीक सा0 देह पत्थरगढ़ी की गई। भू0अ0नि0 के पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार श्री जमना पिता उदा माली निवारी रायला का 10 बिस्वा पर तथा भैरू पिता गोपाल लुहार निवारी रायला का 4 विधा 10 बिस्वा पर कब्जा कर रखा है। जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 वी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जिसमें भैरू पिता गोपाल लुहार का कब्जा हटा दिया गया है। शेष मे अप्रार्थीगणो को तलब किया अप्रार्थीगण उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी श्री जमना पिता उदा माली की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण चंद्र देराश्री का अधिकारी पत्र प्रस्तुत कराया गया तथा जवाब प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जाकर शामिल मिसल किया गया। आप्रार्थी द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा को प्रकरण संख्या 108 / 12 वाद प्रार्थना पत्र धारा 88, 89 व 188 मे पेश किया गया का अवलोकन किया गया एवम श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी महोदय भीलवाड़ा के पत्र कमांक / 255 दिनांक 01.04.2016 व तहसील बनेड़ा के पत्र कमांक / 1003 दिनांक 11.04.2016 से दिनाक 23.04 2016 को टीम द्वारा पुनः प्रार्थी की जमीन की नपती की गई। जिसके अनुसार आराजी नं0 4148 / 276 रकबा 5 बीघा श्री रामदेव पि0 नन्दा देउ बेवा नन्दा खटीक की भूमि पर 1.05 बीघा पर श्री जमना पिता उदा माली का अवैध कब्जा होना बताया गया था। श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी एवम राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या आर टी ए / 23 / 2018 निर्णय दिनांक 23.07.2019 का अवलोकन किया गया। तथा उक्त प्रकरण पत्रावली उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार किसी भी न्यायालय मे स्थगन नहीं होना पाया गया है।

तहसीलदार बनेड़ा
जिला–भीलवाड़ा

(9)

न्यायालय तहसील

24/8/21 पत्रावली पेश हुई / वादी उपस्थित प्रतिवादी अनुप० / वादी एवं प्रतिवादी को पुनः न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर पत्रावली आगामी दि. 21/9/2021 को मुकाम बनेड़ा में पेश हो।

तहसीलदार-बनेड़ा
जिला-भीलवाड़ा

21/9/21 पत्रावली पेश हुई / प्रार्थी उपस्थित / वकील, अप्रार्थी अनुप० / अप्रार्थी एवं अप्रार्थी को पुनः नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 24/11.21 को पेश हो।

तहसीलदार-बनेड़ा
जिला-भीलवाड़ा

24/11/21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 की वजह कैम्प मुकाम रायला में पेश हुई / प्रार्थी एवं अप्रार्थी की ओर से अप्रार्थी का पुत्र श्री राजेश्वर उपस्थित / पत्रावली में निर्णय हेतु पत्रावली दिनांक 2/12/2021 को मुकाम बनेड़ा में पेश हो।

तहसीलदार-बनेड़ा
जिला-भीलवाड़ा

2/12/21 पत्रावली पेश हुई / प्रार्थी व अप्रार्थी की ओर से राजेश्वर हाजिर / पत्रावली में निस्तारित (निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया जावे / पत्रावली नियमानुसार नम्बर दर्ज रजिस्टर होकर रिकॉर्ड में जमा हो।

तहसीलदार-बनेड़ा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

(7)

उक्त प्रकरण में वर्तमान मौका व रेकार्ड की स्थिति में पटवारी हल्का रायला से रिपोर्ट मांगी गई। पटवारी हल्का रायला द्वारा दिनांक 29.11.2021 को मौका व रेकार्ड की स्थिति में लिखा की उक्त आराजी नं0 4148/276 रकबा 5 बीघा श्री रामदेव पि0 नन्दा देउ बेवा नन्दा खटीक के नाम दर्ज रेकार्ड है। और उक्त भूमि के आंशिक हिस्सा रकबा 1.05 बीघा पर श्री जमना पिता उदा माली निवासी रायला का अवैध कब्जा है।

उक्त पत्रावली की विवेचना की गई प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व बयान व साक्ष्य के आधार व रेकार्ड के अनुसार ग्राम रायला के आराजी नं0 4148/276 रकबा 5 बीघा श्री रामदेव पि0 नन्दा देउ बेवा नन्दा खटीक के नाम दर्ज रेकार्ड है। और उक्त भूमि के आंशिक हिस्सा रकबा 1.05 बीघा पर श्री जमना पिता उदा माली का अवैध कब्जा है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत मामला बनता है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार आदिनांक तक श्री जमना पिता उदा माली निवासी रायला का अवैध कब्जा है। जो प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः आदेशित किया जाता है कि ग्राम रायला के आराजी नं0 4148/276 रकबा 5 बीघा श्री रामदेव पि0 नन्दा देउ बेवा नन्दा खटीक के नाम दर्ज भूमि के आंशिक हिस्सा रकबा 1.05 बीघा पर श्री जमना पिता उदा माली निवासी रायला का अवैध कब्जा को हटाया अथवा बेदखल किये जाने के आदेश किये जाकर कब्जा प्रार्थी को दिया जावे। पालनार्थ पटवारी हल्का रायला, भू0अ0नि0 रायला को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली प्रकरण निर्णीत शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(गोपाल दास बुनकर)
तहसीलदार
हुरड़ा/बनेड़ा
जिला - भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner